राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय सुधार समिति) विभाग

क्रमांक प.10(51)वित्त (व्यय–4 एवं पीआई)/2016 पार्ट जयपुर, दिनांक 15/01/2017

विज्ञप्ति

विषय :-- व्यय सुधार समिति के विचारणीय बिन्दुओं (TOR) पर सुझाव आमंत्रण के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश संख्या एफ6 (51)ग्रुप–3/2016 दिनांक 23.10.2017 द्वारा श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में व्यय सुधार समिति (Expediture Reforms Committee) का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार है:–

1	श्री परमेश चन्द्र से.नि. आईएएस	सदस्य
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त	पदेन सदस्य
3	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना	पदेन सदस्य
4	शासन सचिव, वित्त (बजट)	सदस्य सचिव

व्यय सुधार समिति के विचारणीय बिन्दुओं (Terms of Reference) का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. परिवर्तित पोषण पैटर्न के साथ केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सुझाव।
2. राज्य द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन कर अतिरेक, ओवरलैप एवं अनावश्यक व्यय को रोकने हेतु सुझाव।
3. विभागों में उपलब्ध मानव संसाधन का मूल्यांकन कर युक्तियुक्त परिनियोजन बाबत सुझाव देना।
4. कुशलतम संसाधन उपयोग हेतु राजस्व व्यय प्रबंधन बाबत सुझाव देना।
5. व्यय प्रबंधन हेतु Best Practice अपनाने के संबंध में सुझाव।

समिति द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन (Report) प्रस्तुत करने हेतु उक्त विचारणीय बिन्दुओं (TOR) पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

इस संबंध में समिति के विचारणीय बिन्दुओं (TOR) पर राज्य में स्थित समस्त जिला परिषद/पंचायत समिति/गैर सरकारी संगठन एवं आमजन से राजकीय व्यय में सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित किये जाते है। कृपया अपने सुझाव चार सप्ताह की अवधि में निम्न पते पर प्रेषित करने का श्रम करें:–

श्री मेवाराम, नोडल ऑफिसर एवं संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर ई–मेल :– dsfexp4@rajasthan.gov.in

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

New OSD File

ROOM NO. 5244 / 5240, MAIN BUILDING, GOVERNMENT SECRETARIAT, JAIPUR - 302 005
PH : 91-141-2227556, Fax: 91-141-2227799, 2227240 Email: dsfead@rajasthan.gov.in